RTI / Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/60/2016-17 29 जुलाई, 2016

श्री पी.के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

संलग्न पत्र श्रीमती रामश्रृंगारी देवी पत्नी श्री अलगू प्रसाद वार्ड नं. 11, मु. चन्दनपुरा भरत मिलाप चौक कस्बा व थाना कोपागंज, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश का पत्र इस कार्यालय में 25.07.2016 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. संख्या 34F 742429 संलग्न कर अपने पूर्व में भेजे गये आवेदन पत्र जिनमें इन्होंने स्थानीय थाना व क्षेत्रीय लेखपाल, एस.पी. सदर मऊ व मास्टर प्लान की साजिश के चलते बिना नक्शा ही अवैध निर्माण करके अवैध कब्जा करने व करवाने के संबंध में की गई अपनी शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही थी, उक्त आवेदन ध्यानाकर्षण हेतु श्रीयुत सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को 29.06.2016 को अग्रसारित किया गया था। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-
श्रीमती रामश्रृंगारी देवी पत्नी श्री अलगू प्रसाद वार्ड नं. 11, मु. चन्दनपुरा भरत मिलाप चौक कस्बा व थाना कोपागंज, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

O/C

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

(1) RTI No. 60

Vice President's Secretariat
Dy. No. 459
Date 25/7/16
New Delhi

सेवा में,

मा0 श्रीमान् महामहिम उप राष्ट्रपति "महोदय"
भारत सरकार — नई दिल्ली

विषय :— **दि0 18—06—16 समय 13:10 P.M. प्रेषित शि0 प्रा0 पत्र पर आज तक क्या जाँच एवं कार्यवाही गयी है। जन सूचना अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का जवाब/जाँच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया

1— यह है कि दि0 18—06—16 समय 13:10 P.M. पर प्रेषित शि0 प्रा0 पत्रो पर क्या जाँच व कार्यवाही की गयी है। क्या आपके स्तर से हमे न्याय व सुरक्षा मिल सकती है या नही ?

2— आप अपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय अपिलीय अधिकारियो के नाम, पद, पता, दूरभाष व सरकारी मोबाइल नं0, फैकस नं0 इत्यादि उपलब्ध करावें।

अतः आप श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि इस प्रार्थना पत्र की छाया प्रति संलग्नक है। इसका विशेष रुप से गहन अवलोकन करते हुए समस्त जन सूचना समय अवधि के अन्दर उपलब्ध कराने कीकृपा करें। न्याय पाने की दिशा में अग्रीम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक—

1— कुल पन्ना सं0 (06) है।

2— भा0पो0आ0सं0 34F 742429

दिनांक :— 19—7—16

भवदीय रामसोगारीदेवी

W/o अवतार प्रसाद
मु0 चन्दन डीह
थाना - कोपागंज
जनपद - मऊ
उ0प्र0

मा0 श्रीमान्, महामहिम, उप राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार — नई दिल्ली —

विषयः स्थानीय थाना व क्षेत्रीय लेखपाल, एस.पी. सदर मऊ व मास्टर प्लान की साजिश के चलते बिना नक्शा ही अवैध निर्माण करके अवैध कब्जा करने व कराने के सम्बन्ध में–

महोदय/महोदया,

हमारे देश हिन्दुस्तान को आजाद हुए 65 वर्ष व्यतीत हो गये। हम कहने को आजाद है। परन्तु भ्रष्टाचार व स्वार्थ हित में लिप्त नौकर शाही व भ्रष्ट नेताओं के गुलाम बन रह गये है। ये अपना और अपने खाशो–खास पर मरते है। जनता का भला करना व हित की सोचना इनके खून में नही है। आप जब पद गोपनीयता की शपथ लेते हुए भारतीय संविधान व आम जनता जनार्दन की हित की बात करते है। लेकिन आप कार्य इसके ठीक विपरीत करते है। जिसकी ताजा उदाहरण इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के जनपद मऊ थाना कोपागंज अन्तर्गत मु0 चन्दनपुरा, भरत मिलाप चौक निवासी श्री अलगू प्रसाद पुत्र स्व0 डोमा राम जी यह कहानी सत्य पर आधारित है। इनके पिता स्व0 श्री डोमा राम पुत्र स्व0 जग देश की छः शादीया हुई थी। इनकी चार पत्निया क्रमशः एक–एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गयी थी। पांचवी पत्नी से श्री अलगू प्रसाद जी जन्म हुआ था, जन्म के दस दिन बाद इनकी माँ की भी मृत्यु हो गयी। फिर इनके पिता ने छठवीं शादी की जिससे दो भाई शंकर व मोहन तथा चार बहनो का जन्म हुआ। इनका शादी विवाह के पश्चात अपने घर राजी खुशी से रह रही है।

मु0 चन्दनपुरा की समस्त सम्पत्ति अपनी बहू श्रीमती रामश्रृंगारी देवी पत्नी श्री अलगू प्रसाद को दे दिया गया है। जो सम्पत्ति अपनी बहू श्रीमती राम श्रृंगारी देवी को दे दिया गया उसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि उक्त सम्पत्ति श्रीमती रामश्रृंगारी देवी की है। इसके बदले में श्री डोमा राम ने नौ किता जमीन बेच कर पूँजी के रूप में (1) शंकर व (2) मोहन पुत्र स्व0 डोमा राम को दी गयी थी। इसके पश्चात पिता स्व0 डोमा राम की मृत्यु के पश्चात (1) शंकर ने अपने हिस्से से आधे से अधिक जमीन बेच दिये। इसी प्रकार मोहन ने भी अपने हिस्से थोडी जमीन बेची है शेष (1) शंकर व (2) मोहन पुत्र स्व0 डोमा राम ने अपने हिस्से की सुरक्षित रखे है।

अब बदनियती के चलते धन बल, उँची पहुँच, लेन–देन के बल पर अलगू प्रसाद पुत्र स्व0 डोमा राम क हिस्से पर अवैध निर्माण करके अवैध कब्जा कर रहे है। इस अवैध कब्जा करने में सहयोग क्षेत्रीय लेखपाल थानाध्यक्ष कोपागंज, एस.डी.एम. सदर मऊ व मास्टर प्लान के अधिकारीयों का सहयोग मिल रहा है। जिसके चलते डी0एम0 मऊ व ए0पी0 मऊ लाचार दिख रहे है। इन लोगों ने एक बार 2007 में